

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 251/2013
संस्थित दिनांक- 03.06.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

शंकर पिता शांतिलाल भीलाला,
आयु-45 वर्ष, जाति-कोली,
व्यवसाय-मजदूरी, निवासी-ग्राम भटगवला,
तहसील अंजड़, जिला बड़वानीआरोपी

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 19/11/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 135/13 में फरियादी चंद्रशेखर मारु द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-341, 294, 323 (2 शीर्ष) एवं 506(2) के आरोप विचारणीय हैं ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.13 को रात्रि लगभग 8:30 बजे फरियादी चंद्रशेखर अपने खेत से घर आ रहा था, तो मांगिया के मकान के सामने रास्ते में अभियुक्त आया और उसका रास्ता रोककर उसे अश्लील गालियां दीं तथा हाथ में ली लकड़ी से उसे मारा, जिससे चंद्रशेखर को बाएं कान पर चोट लगी और बाएं हाथ की भुजा पर भी चोट लगी, उसकी पत्नी ममताबाई बीच-बचाव करने आईं तो अभियुक्त ने उसके मुंह पर घूंसा मारा, मौके पर मांगिया व दादू कमलेश आ गये, जिस पर अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी । चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी, दादू और कमलेश को साथ लेकर इस घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ में दर्ज कराई गयी, जिस पर प्र.पी.1 का अपराध दर्ज कर आहतों को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया । घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा अभियुक्त से एक बॉस की लकड़ी जप्त कर उसे गिरफ्तार कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-341, 294, 323 (2 शीर्ष) एवं 506(2) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. **विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-**

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.05.13 को समय 8:30 बजे रात्रि में मांगिया के मकान के सामने रास्ते पर ग्राम भटगवला में चंद्रशेखर को रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया गया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चंद्रशेखर को अश्लील गालियां दी, जिससे फरियादी एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चंद्रशेखर एवं ममताबाई को लकड़ी एवं धूसे से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की गयी ?
4	क्या अभियुक्त ने फरियादी चंद्रशेखर एवं ममताबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी चंद्रशेखर (अ.सा.1), श्रीमती ममता (अ.सा.2), डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.3), दादू (अ.सा.4), कमलेश (अ.सा.5), आर.एस. मंडलोई (अ.सा.6), जादिया (अ.सा.7), गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 3 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में चंद्रशेखर (अ.सा.1) का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है, लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व रात्रि 8-8:30 बजे के मध्य वह उसके खेत पर से घर वापस आ रहा था, रास्ते में मांगिया के घर के सामने अभियुक्त ने उसे रोका तथा अश्लील गालियां दी थीं तथा उसके हाथ में लिया गया लट्ठी उसके सिर पर मारा था, जिससे उसे उल्टे कान पर और उल्टे हाथ पर चोटे आई, बीच-बचाव करने उसकी पत्नी ममताबाई आई तो अभियुक्त ने उसकी पत्नी को मुँह पर मुक्का मार दिया था, जिससे उसे चोट आई, दादू और कमलेश ने बीच-बचाव किया था, उसने घटना की रिपोर्ट अंजड़ थाने पर प्र.पी.1 की लिखायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसका अंजड़ अस्पताल तथा बाद में बड़वानी अस्पताल में ईलाज कराया था ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दादू उसका भांजा है और कमलेश उसकी जाति-समाज का है । कमलेश घटनास्थल पर कैसे आया वह नहीं बता सकता है । उसका खेत घटनास्थल से लगभग 100 फीट की दूरी पर होगा । वह खेत पर गया था, तब उसकी पत्नी घर पर थी । अभियुक्त शंकर व मांगिया के घर की दूरी लगभग 150-200 फीट की होगी । फरियादी ने स्वीकार किया कि शंकर की पुत्री का नाम संगीता है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने शंकर की पुत्री संगीता के साथ छेड़छाड़ की थी और पंचायत ने समझौते में उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना किया था । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी और शंकर की पुत्री के संबंध थे । गांव में समझौता हुआ था, क्योंकि उसकी उसका और संगीता का प्रेम संबंध हुआ था । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वह संगीता को बार-बार छेड़छाड़ करता था अथवा उसने शंकर से यह कहा कि "तुमने मेरा क्या कर लिया, मैंने तेरी पुत्री को छेड़ा था" । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया कि घटना वाले दिन वह शराब पीये था और गिरने से उसे चोट आई थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसकी पत्नी उसे उठाकर ले जा रही थी, तब उसका हाथ उसकी पत्नी के मुंह पर लगने से उसे चोट आई थी । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि संगीता के संबंध में उसका समझौता होने के बाद से अभियुक्त शंकर के इस विवाद उससे बातचीत बंद है । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसे अभियुक्त शंकर से समझौते में 1 लाख रुपये लगे हैं, इस बात से अभियुक्त से रंजिश रखता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब मांगिया के घर के सामने उसकी अभियुक्त से मारपीट हुई, तब उसकी पत्नी घर पर थी, उसकी पत्नी ने उसे मारते हुए नहीं देखा था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के समय दादू और कमलेश नहीं आए थे, उन्होंने बीच-बचाव नहीं किया था । साक्षी ने स्वीकार किया कि लट्ठ ज्यादा मोटा नहीं था और घटना के समय अंधेरा था, इसलिए वह नहीं बता सकता है कि लट्ठ कितना मोटा था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि रंजिशवश अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है ।

9. साक्षी ममताबाई (अ.सा.2) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है । फरियादी उसका पति है । डेढ़ वर्ष पूर्व रात्रि 8-8:30 बजे अभियुक्त मांगिया के घर के सामने उसके पति के साथ गाली-गलौज कर रहा था तथा अभियुक्त ने उसके पति के सिर पर लट्ठ मारा दिया था, वह बीच-बचाव करने गयी, तब अभियुक्त ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया था, जिससे उसे दांत में चोट आई थी । साक्षी का यह भी कथन है कि बीच-बचाव दादू और कमलेश ने किया था और घटना की रिपोर्ट कराने अपने पति के साथ थाना अंजड़ गयी थी । पुलिस ने उनका मेडिकल-परीक्षण कराया था । साक्षी ने नक्शा-मौका प्र.पी.2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि संगीता द्वारा लिखायी गयी छेड़छाड़ की रिपोर्ट के संबंध में गांव में पंचायत हुई थी और उसके पति पर रुपये 1 लाख का जुर्माना किया था, उसके बाद से उसके परिवार की अभियुक्त के परिवार से बातचीत बंद है । यह स्वीकार किया है कि उक्त पंचायत इस घटना के डेढ़-दो माह पूर्व हुई थी, लेकिन साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उनकी अभियुक्त से रंजिश है अथवा उसके पति ने खेत से आते

समय शराब पीकर अभियुक्त से विवाद किया था । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसका पति शराब पीकर गिर गया था, इसलिए उसे चोट आई थी । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त ने उसे मारा था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि वह अपने पति को ले जा रही थी, तब उसके पति का हाथ उसके मुंह पर लगा था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उसके और उसके पति के साथ अभियुक्त ने कोई मारपीट नहीं की थी अथवा वह रंजिशवश अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रही है ।

10. साक्षी दादू (अ.सा.4) का कथन है कि वह फरियादी एवं अभियुक्त को जानता है । एक वर्ष पूर्व शाम लगभग 7:30—8:00 बजे की घटना है, वह अपने खेत में से मोटरसायकल से ग्राम भटगवला से अपने घर जा रहा था, तब अभियुक्त और फरियादी दोनों का विवाद चल रहा था, अभियुक्त के हाथ में एक छोटी लकड़ी थी, जो चंद्रशेखर के सिर में तथा कान में मार दी थी, जिससे चंद्रशेखर को चोट आई थी । चंद्रशेखर की पत्नी भी बीच-बचाव करने आई थी, तब अभियुक्त ने उसे भी मुंह पर घूंसा मार दिया था, जिससे उसे मुंह से खून निकला था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि फरियादी उसके मामा हैं, साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फरियादी और अभियुक्त का अभियुक्त शंकर की पुत्री के प्रेम प्रसंग में विवाद होने पर पंचायत में समझौता होने पर चंद्रशेखर पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगा था, तब से ही फरियादी और अभियुक्त की बोलचाल बंद है तथा रंजिश थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय रात्रि होकर अंधेरा हो गया था, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना वाले दिन गांव में अंधेरा था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि बिजली थी । उसने चंद्रशेखर एवं अभियुक्त का विवाद छुड़ाया था तथा चंद्रशेखर और ममताबाई को लेकर मोटरसायकल से अस्पताल गया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता है कि कमलेश ने विवाद देखा था या नहीं । साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि ममता घटनास्थल पर बाद में आई थी । साक्षी ने स्पष्ट किया कि चंद्रशेखर का विवाद चल रहा था, तब ममताबाई भी आ गयी थी और उसे भी मारा था, जिससे वह गिर गयी थी । इस साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी.1 और न्यायालय कथन में आए मामूली विरोधाभास को अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा अत्यधिक बल दिया गया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके सामने अभियुक्त ने चंद्रशेखर को अंटिये से नहीं मारा था, साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्र.डी.1 में अभियुक्त द्वारा चंद्रशेखर को अंटिये से मारने की बात नहीं बतायी थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उनके यहां अंटिये को ही लकड़ी बोलते हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह फरियादी का रिश्तेदार होने के कारण अभियुक्त के पक्ष में असत्य कथन रह रहा है ।

11. साक्षी कमलेश (अ.सा.5) ने फरियादी और अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया है । उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन के सभी सुझावों को इन्कार किया है । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.5 का कथन देने से भी इन्कार किया है । संभवतः साक्षी जानबूझकर या अभियुक्त से हितबद्ध होने के कारण अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं कर रहा है ।

12. साक्षी नादिया (अ.सा.7) का कथन है कि वह अभियुक्त और फरियादी को जानता है, लगभग डेढ़ वर्ष पहले की घटना है, अभियुक्त शंकर उसके घर पर बैठा था और फरियादी चंद्रशेखर वहां पर आया था, दोनों के मध्य बोलचाल हुई थी, फरियादी ने शंकर को मारने के लिये लकड़ी उठायी थी, तब अभियुक्त ने फरियादी को धक्का दे दिया था, जिससे फरियादी जमीन पर गिर गया और वहां उसे जमीन में पड़ी ईंट की चोट लगी थी । इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना रात्रि लगभग 8-8:30 बजे की है, उस समय वह अपने घर पर खाना खा रहा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि अभियुक्त ने फरियादी को लकड़ी से मारा था, जिससे उसके कान व हाथ में चोट लगी थी तथा अभियुक्त ने फरियादी की पत्नी को मुक्के से मारा था । यहां तक की साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.8 का कथन देने से भी इन्कार किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी को अभियुक्त ने धक्का नहीं दिया था और फरियादी स्वयं गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी । साक्षी ने संभवतः प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकारोक्ति भूलवश की है, क्योंकि मुख्य-परीक्षण में साक्षी का स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त ने फरियादी को धक्का दिया था, जिससे फरियादी जमीन पर गिर गया था, यद्यपि इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है, लेकिन इस साक्षी का इतने कथन जिससे अभियोजन का समर्थन होता है को अभियोजन के पक्ष में विचार में लिया जा सकता है । इस साक्षी से इतना अवश्य प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने फरियादी को धक्का दिया था और घटना के समय यह साक्षी अपने घर के अंदर था, ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य मारपीट की संपूर्ण घटना नहीं देखना प्रकट होता है, लेकिन यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने फरियादी से विवाद किया था ।

13. साक्षी गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 17.05.13 को थाना अंजड़ में फरियादी चंद्रशेखर मारु ने थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अश्लील गालियां देने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी और अभियुक्त के बीच अभियुक्त की लड़की को लेकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट अभियुक्त ने की थी, जिसमें उनका राजीनामा हो गया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे फरियादी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

14. साक्षी डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 17.05.13 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में मेडिकल-ऑफिसर के रूप में कार्य करते हुए पुलिस आरक्षक कुंवरसिंह द्वारा लाने पर आहत चंद्रशेखर पिता भागीरथ निवासी मेहगांव डेब का परीक्षण करने पर उसे फटा हुआ घांव बाये कान पर 2X1 से.मी. तथा बाएं हाथ पर 3X1 से.मी. की सूजन होना पाया था, दोनों चोटे किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण के 6 घंटे के भीतर की होना पायी थी । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने आहत का प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय, बड़वानी भेजा

था, इस साक्षी द्वारा आहत ममताबाई पति चंद्रशेखर का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसके इन्साईजर दांत के हिस्से में खून होना पाया था, जो कि साधारण प्रकृति की चोट थी । साक्षी ने उसके मेडिकल-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.3 एवं प्र.पी.4 को भी प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहतों को आई चोट गिरने से आना संभव है, लेकिन चंद्रशेखर (अ.सा.1) एवं ममताबाई (अ.सा.2) ने बचाव-पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उक्त चोटे गिरने से आई थी, ऐसी स्थिति में साक्षी डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.3) की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव-पक्ष को कोई भी सहायता नहीं मिलती है ।

15. साक्षी आर.एस. मंडलोई (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 17.05.13 को थाना अंजड़ के अपराध क्र.135/13 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, विवेचना के दौरान उसने ग्राम भटगवला पहुंचकर साक्षी ममता के बताये अनुसार प्र.पी.2 का नक्शा-मौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे । उसने अभियुक्त के पेश करने पर एक बांस की लकड़ी को प्र.पी.6 के अनुसार जप्त किया था । अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे ममताबाई ने घटनास्थल नहीं बताया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य अभियुक्त की पुत्री के साथ छेड़खानी करने के संबंध में विवाद है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसे साक्षीगण ने कोई भी कथन नहीं दिये थे अथवा उसने फरियादी से मिलकर अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कार्यवाही की है ।

16. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी ने पूर्व में अभियुक्त की पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना की थी, जिसमें पंचायत द्वारा फरियादी पर रुपये 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था और इस घटना के बाद फरियादी और अभियुक्त के मध्य रंजिश है, इस कारण फरियादी ने अभियुक्त के विरुद्ध यह असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है ।

17. यह सही है कि चंद्रशेखर (अ.सा.1), ममताबाई (अ.सा.2) यहां तक कि विवेचक आर.एस. मंडलोई (अ.सा.6) ने भी अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य उक्त विवाद होने के संबंध में स्वीकारोक्ति की है और फरियादी ने अभियुक्त से रंजिश होना और बातचीत बंद होना भी स्वीकार किया है, लेकिन बचाव-पक्ष की ओर से साक्षियों को पूछे गये प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसी कोई साक्ष्य या अन्य दस्तावेज अपने समर्थन में पेश नहीं किये हैं, जिससे बचाव-पक्ष का यह अभिवाक् प्रमाणित हो सके कि फरियादी द्वारा पूर्व की रंजिश के कारण ही अभियुक्त के विरुद्ध यह असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है । रंजिश एक ऐसी दो धारी तलवार होती है, जिसके आधार पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना भी संभव होता है ।

18. बचाव-पक्ष की ओर से घटना के समय आहत चंद्रशेखर को शराब के नशे में गिरना बताया है, लेकिन घटना के तत्काल बाद आहत का मेडिकल-परीक्षण करने पर डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.3) ने रात्रि लगभग 10 बजकर 15 मिनट पर आहत का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसे शराब के नशे में नहीं होना पाया है, ऐसी स्थिति में बचाव-पक्ष का यह अभिवाक् स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि चंद्रशेखर शराब के नशे में गिरा था और उसे उठाने में ममताबाई के मुंह पर चोटे कारित हुई थी । जहां तक कमलेश (अ.सा.5) और नादिया (अ.सा.7) द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करने का प्रश्न है, वहां किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिये स्वतंत्र साक्षी या एक से अधिक साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है, अभियोजन का मामला केवल आहत साक्षीगण के कथनों से भी प्रमाणित हो सकता है ।

19. अभियुक्त द्वारा चंद्रशेखर को रोककर लट्ट से उसके कान और हाथ पर चोट पहुँचाने के संबंध में चंद्रशेखर (अ.सा.1), ममताबाई (अ.सा.2) तथा दादू (अ.सा.4) के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं है । साक्षियों का यह भी कथन है कि ममताबाई बीच-बचाव करने आई थी तो अभियुक्त ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था, जिससे उसे चोट आई थी, इस घटना के तत्काल बाद फरियादी ने रिपोर्ट थाना अंजड़ में की, जहां से उसे मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजे जाने पर साक्षी डॉ. विमलेश चोयल (अ.सा.3) ने आहतों के शरीर के उन भागों पर चोटे होना पायी हैं, जिनका प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख है । साक्षी दादू (अ.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के दिन गांव में अँधेरा था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि बिजली चालू थी । घटना की प्रथम सूचना प्रतिवेदन साक्षी गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) ने लिखी है और विवेचना के दौरान साक्षी आर.एस. मंडलोई (अ.सा.6) ने अभियुक्त से अभियुक्त के पेश करने पर उक्त बॉस की लकड़ी को प्र.पी.6 के अनुसार जप्त किया है । अभियोजन की उक्त साक्ष्य का कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में नहीं है ।

20. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चंद्रशेखर का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी एवं ममताबाई को मुक्के से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, जो कि भा.द.सं. की धारा-341 एवं 323 का अपराध है ।

21. अतः यह न्यायालय अभियुक्त शंकर पिता शांतिलाल निवासी ग्राम भटगवला को आहत फरियादी चंद्रशेखर के प्रति किये गये भा.द.सं. की धारा-341, 323 एवं ममताबाई के विरुद्ध किये गये भा.द.सं. की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 और 4 का निराकरण :-

22. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी चंद्रशेखर (अ.सा.1) का कथन है कि अभियुक्त ने उसे अश्लील गालियां दी थीं, लेकिन साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दी गयी गालियों से उसे क्षोभ कारित हुआ था । साक्षी ममताबाई (अ.सा.2) ने भी उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, शेष अभियोजन साक्षियों के कथनों से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने चंद्रशेखर को अश्लील शब्द कहे गये थे तथा चंद्रशेखर एवं ममताबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया था, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-294, 506(2) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धाराओं के अपराध से अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

23. चूंकि अभियुक्त को भा.द.सं की धारा-341 एवं 323 (दो शीर्ष) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है, प्रकरण की परिस्थितियों और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:

24. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना गया उनका तर्क है कि अभियुक्त ने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है तथा अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

25. यह सही है कि अभियुक्त ने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है, जिस कारण से प्रकरण का निराकरण शीघ्रता से हो सका, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम कारावास के दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः यह न्यायालय अभियुक्त शंकर पिता शांतिलाल, आयु-45 वर्ष, जाति कोली, निवासी ग्राम भटगवला जिला बड़वानी को भा.द.सं. की धारा-341 के अपराध में दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया। अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा-323 (दो शीर्ष) के अपराध में दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास (दो शीर्ष) एवं 5,00/-5,00/-रुपये (अक्षरी पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को 7-7 दिवस का कारावास पृथक से भुगताया जाए ।

26. अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
27. द.प्र.सं. की धारा-357(3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह भी आदेश किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर प्रतिकर स्वरूप आहत चंद्रशेखर पिता भागीरथ एवं ममताबाई पति चंद्रशेखर को 300/-300/-रुपये (अक्षरी पांच-पांच सौ रुपये) अपील अवधि पश्चात् अदा किये जाए ।
28. अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाए । अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।
29. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी बाद अपील अवधि नष्ट की जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।
30. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त शंकर को निःशुल्क दी जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

